

## सार-समाचार

## रायपुरा में ग्रेवल सड़क निर्माण पर महिलाओं ने आभार जताया

कोटा, (निर्स)। वर्षा ऋतु में पानी के भराव के कारण सड़क मार्ग से कटी हुई कॉलोनियों के निवासियों को अब राहत मिल सकेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश के बाद कोटा विकास प्राधिकरण ने रायपुरा स्थित कॉलोनियों के लिए ऊंची ग्रेवल सड़क का निर्माण प्रारम्भ करवा दिया है। ज्ञात हो कि रायपुरा स्थित हरि आवास, गणेश विहार, शिवम एनक्लेव, लक्ष्मी विहार, टैगोर नगर एवं आसपास की कई कॉलोनियों के वासी जलपराव की समस्या से पीड़ित थे, इससे उनका दैनिक जीवन भी अस्त-व्यस्त हो चुका था, यहां तक कि बच्चों का स्कूल जाना तक भी मुश्किल हो चुका था। इसलिए इन कॉलोनियों की पीड़ित महिलाओं ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश सहसंयोजक इरशाद अली के नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समस्या से अवगत करायी। बिरला ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए केडीए को समस्या का समाधान करने के निर्देश जारी किए। केडीए चीफ इंजीनियर रविंद्र माथुर द्वारा तत्काल कार्य का एस्टिमेट बनवाकर कार्य प्रारंभ करवाया गया जिस पर कॉलोनीवासी महिलाओ ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश सहसंयोजक इरशाद अली के आवास जाकर भाजपा एएसटी मोर्चा प्रदेश महामंत्री अशोक मोणा, भाजपा वरिष्ठ नेता इंद्रमल जैन, भाजपा जिला संयोजक वंचिततीराज बट्टी आर्य, उद्योग नगर मंडल अध्यक्ष मनोज तलवाई, भाजपा परिषद पार्षद गिरिराज भावगर, मंडल महामंत्री हरेंद्र सिंधी भदौरिया का उपगुच्छ देते हुए मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया।

## तीज महोत्सव मनाया

कोटा, (निर्स)। सिंधु यु्थ सत्किल की महिला विंग ग्लोरियस 50 की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन एक निजी रेस्टोरेंट में किया गया जिसमें महिलाओं ने सज-धजरकर पारम्परिक परिवेश में तीज महोत्सव की लेकर कई आयोजन किए। ग्लोरियस 50 की अध्यक्ष दृष्टि दवानी ने बताया कि सिंधी समाज की महिलाएं तीज महोत्सव को पारम्परिक रूप में मनाती हैं और लम्बे समय से यह प्रथा चली आ रही है। इस दौरान गीत गाए जाते हैं, तीज माता का गुणगान होता है और कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक मनाया जाता है- उन्होंने कहा कि इस दौरान महिलाओं ने हाउजी खेली, कई पारम्परिक खेलों का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं ने बह-बढ़कर भाग लिया और जमकर धमाल मचाया। इस अवसर पर महिलाओं ने मेहंदी मेले के तहत अपने हाथों पर कई संदेशपर महंदी लगाई और सिंधी सभ्यता को जीवंत करने का प्रयास किया। कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को नवाजा भी गया और लजीज व्यंजनों का भी मजा लिया गया।

## निगम ने गड्डा भरवाया

कोटा, (निर्स)। नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा भीमगंजमंडी स्थित माला रोड पर गड्डे को भरवा दिया गया है, जिससे अब उस मार्ग पर यातायत बहाल हो गई है। सड़क की मरम्मत वर्षाकाल के बाद करवा दी जाएगी। आयुक्त अशोक कुमार त्यागी ने बताया कि मुख्य माला रोड पर नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा पर्सिंग स्टेशन बनवाया जा रहा है। सेन्ट्रॉल स्कूल से शहीद अजय आहुजा पार्क मार्ग पर पर्सिंग स्टेशन की विद्युत केबल को ट्रांसफर करने के नगर निगम की ओर से केईडीएल को आग्रह किया गया था, जिसके लिए केईडीएल ने गड्डा खोदा था। केवल ट्रांसफर करने का काम पूर्ण हो चुका है। इसके उपरति केईडीएल को ही गड्डा भरवाया था, लेकिन उन्होंने यह काम भी करवाया तो निगम ने स्वयं के स्तर पर कार्य कर दिया। केवल ट्रांसफर करने के लिए खोदे गए गड्डे के भरने के बाद अब मार्ग बाधित नहीं है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। वर्षा के कारण अभी मार्ग की मरम्मत संभव नहीं है। मानसून समाप्ति के बाद सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।

## गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित

कोटा, (निर्स)। ऊर्जा मंत्री होरालाल नागर के नेतृत्व में सांगोद विधानसभा क्षेत्र में चलाए सुपोषित मां अभियान के तहत बुधवार को सांगोद भाजपा मण्डल के विभिन्न ग्राम पंचायतों और नगर में गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से अभियान संचालित किया जा रहा है। सांगोद नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रकाश सोनी ने बताया कि बुधवार को सांगोद नगर के किट का वितरण नवीन काशीपुरी धर्मशाला पर किया गया। इसके अलावा मण्डप, विनोद खुर्द, मंडीता में ग्राम पंचायत भवन पर सुपोषित मां अभियान के किट का वितरण किया गया। वहीं कुंदनपुर में किशनपुरा खेल मैदान घाटोलिया पर किट वितरित किए गए।

# हाड़ौती में वेडिंग इंडस्ट्री के भव्य संगम के पोस्टर का अनावरण समारोहपूर्वक हुआ

कोटा, (निर्स)। सुवालका रिजॉर्ट में सोमवार को आयोजित वेडिंग इंडस्ट्री और वेंडर अवार्ड के पोस्टर अनावरण समारोह में हाड़ौती क्षेत्र की वेडिंग इंडस्ट्री का एक अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। इस अवसर पर 300 से अधिक वेडिंग प्लानर्स, वेंडर्स, एसोसिएशन प्रतिनिधि और इवेंट प्रोफेशनल्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में हाड़ौती की वेडिंग इंडस्ट्री के लिए एक साझा मंच गठन की औपचारिक घोषणा हुई। सर्वसम्मति से कमल शर्मा (एमडी इवेंट्स) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संस्था का उद्देश्य हाड़ौती के सभी वेडिंग प्लानर्स और वेंडर्स को एकजुट कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, व्यवसाय के अवसर बढ़ाना, और इंडस्ट्री के पेशेवरों के बीच नेटवर्किंग मजबूत करना है। समारोह का आयोजन अक्टूबर के

## मेला ग्राउण्ड का निरीक्षण किया

कोटा, (निर्स)। राष्ट्रीय मेला दशरहा 2025 के आयोजन हेतु नगर निगम, कोटा दक्षिण की मेला एवं अन्य उसव आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी की अगुवाई में निगम अधिकारियों के साथ प्रातः 11 बजे पूरे मेला परिसर का राउण्ड किया गया। मेला परिसर के वेंस्ट जोन, नोर्थ जोन एवं ईस्ट जोन की दुकानों और स्थान के आंवंटन के सदर्थ मौके पर चर्चा कर रूपरेखा तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। मेले में अधिक से अधिक दुकानों के आंवंटन एवं पर्याप्त स्थान के साथ-साथ आमजन की सुविधा हेतु विस्तार से भ्रमण कर दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। मेला राउण्ड के दौरान निगम के सहायक अभियन्ता भुवनेश नावरिया, विनोद मेहरा, राजस्व अधिकारी विजय अग्निहोत्री, राजस्व निरिक्षक रियाजुद्दीन एवं संबंधित कर्मचारी साथ में रहे।

## पालिकाध्यक्ष का दो माह के लिए और कार्यकाल बढ़ाया

रामगंजमण्डी, (निर्स)। राज्य सरकार ने रामगंजमंडी के नव नियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल का कार्यकाल 2 माह के लिए और बढ़ा दिया है। पालिका अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर का आभार व्यक्त किया है।

# आरटीयू का बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू

कोटा, (निर्स)। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा उद्यमिता शिक्षा और कौशल-अनुसंधान के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा, ऑफ-कैम्पस जयपुर एवं जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर के साथ दो एमओयू संपन्न किए गए हैं। आरटीयू के सह-जनसम्पर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि इस सम्झौते पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एसके सिंह, वहीं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ-कैम्पस जयपुर की ओर से निदेशक डॉ.पिपुषु तिवारी और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी की ओर से रजिस्ट्रार तन्मय पटनायक ने हस्ताक्षर कर एमओयू का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर

# नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली

कोटा, (निर्स)। हाथों में तिरंगा, होटों पर देशभक्ति के नारे और आंखों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प, कुछ ऐसा ही नजारा बुधवार को जिला प्रशासन और नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में दिखाई दिया।

जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कदम मिलाते हुए तिरंगा रैली निकाल कर 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को घर-घर तिरंगा लहराने का संदेश है। आयुक्त अशोक कुमार त्यागी ने बताया कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में चलता जा रहे हर घर तिरंगा-हर घर स्वच्छता अभियान के तहत बुधवार को सेवन वंडर्स पार्क से ज्वाला तोप होते हुए वापस सेवन वंडर्स पार्क तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों, प्रवृद्धजन, वरिष्ठजन, महिलाओं, युवाओं और बच्चों के साथ-साथ जिला प्रशासन, नगर निगम कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, कोटा विकास प्राधिकरण, पुलिस, चिकित्सा विभाग, खेल विभाग समेत विभिन्न राजकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते देशभक्ति से भरे नारे गुंजते रहे। इस यात्रा का भाग बना प्रत्येक



कोटा उत्तर नगर निगम द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई।

व्यक्ति दिल में गर्व की भावना महसूस कर रहा था। यात्रा जहाँ से भी गुजरी लोग उससे जुड़ते चले गए। यात्रा के समापन के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि आज देश सक्षम नेतृत्व के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के विकास की इस गति को 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिकता की भावना से बढ़ा रहे हैं। जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पूरे भारतीयों के लिए गर्व और गौरव का अवसर होने के साथ हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। खुशी की बात है कि नागरिक अब अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा के लिए नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से विशेष सैल्फी पॉइंट

### अपहरण की आशंका पर पुलिस ने नाकाबंदी की

पिता भी घर पहुंचे और इसकी सूचना रेलवे कॉलोनी थाने को दी गई। बालक के घर के बाहर से लापता होने की सूचना पर रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा मय जाता लेकर मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी ने लापता बालक के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी चैक किये।

बालक के अपहरण की आशंका पर थानाधिकारी ने मामले में तत्परता दिखाई और पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद डेढ़ घंटे बाद बालक को पैदल कॉलोनी में ही घुमते हुए पुलिस ने रसक्यू कर बालक को परिजनों को लौटाया।

रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि इलाके के सिद्धि विनायक नगर से एक बालक के घर के बाहर से लापता होने की सूचना मिली।

बालक के अपहरण होने की आशंका पर मामले को गंभीरता से लेते हुए बालक की तलाश के लिये चारों तरफ पुलिस तजार्ना रवाना

किया गया और नाकाबंदी की, साथ ही रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन की तरफ भी जापा को रवाना किया। थानाधिकारी ने बताया कि बालक कार्तिंक बाद में कॉलोनी में पैदल आता दिखा जिसकी तलाश में जुटी पुलिस ने बालक को रसक्यू किया। थानाधिकारी ने बताया कि बालक से छुछाछ में सामने आया कि बालक का कोई अपहरण नही हुआ था, बालक स्वयं ही अपने मित्र के यहां चला गया था जिसे उसके परिजनों को लौटा दिया। वहीं बालक के पिता प्रकाश मीणा ने बताया कि वह ड्यूटी पर थे, 3 बजे करीब घर से फोन पर उन्हें जानकारी मिली कि बेटा घर के बाहर से लापता हो गया है वह कही भी नही मिल रहा है।

सूचना मिलते ही वह रेलवे कॉलोनी थाने पहुंचे और पुलिस को बालक के घर के बाहर से लापता होने की बात बताई। प्रकाश मीणा ने बताया कि बालक की तलाश के लिये रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी व पुलिस जापा ने तुरंत मामले में कार्यवाही की और बालक को तलाश लिया, पिता ने रेलवे कॉलोनी पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि बालक अपने मित्र के यहां चला गया था उसके साथ कोई घटना नही हुई।

## तिरंगा यात्रा निकाली

छबड़ा (निर्स)। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बुधवार को यहां तहसीलवार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यहां देशभक्ति के नारे गुंजयामान रहे।

## धरणीधर जन्मोत्सव आज

छबड़ा (निर्स)। कस्बे में धरणीधर जन्मोत्सव पर आज भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। जिसमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से समाजबंधु बड़ी संख्या में भाग लेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष महावीर धाकड़ ने अनुसार सालपुरा रोड स्थित मालव छात्रावास से शोभायात्रा शुरू होगी जो अंबेडकर सर्किल, अहिंसा सर्किल, आजाद सर्किल, धरमावत चौराहा होते हुए कृषि उपज मंडी प्रांगण में महाआरती के बाद सामूहिक स्नेहभोज के साथ संपन्न होगी। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए की जा रही तैयारियों को बुधवार को अंतिम रूप दिया गया।

आयोजन न केवल हमारे क्षेत्र को पहचान दिलाएगा बल्कि यह यहां के हर वेंडर और प्लानर के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। उपाध्यक्ष आयुष विजय ने कहा कि हम आने वाले वर्षों में हाड़ौती को 'वेडिंग हब ऑफ राजस्थान' के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। मुख्य अतिथि राजेश बिरला चेयरमैन रेडक्रॉस सोसायटी बिरला ने कहा कि सफलता तब आती है जब इंडस्ट्री के सभी लोग एक-दूसरे के साथ खड़े हों।

यह इस एकाता का बेहतरीन उदाहरण है। क्रांति जैन अध्यक्ष व्यापार संघ कोटा ने कहा कि स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना ही शहर और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति की कुंजी है। पंकज लड्डा अध्यक्ष लड्डा केयर फाउंडेशन ने कहा कि नेटवर्किंग किसी भी इंडस्ट्री की जीवन्तरेखा है और यह आयोजन इसके लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है।

## नीलीमा जोशी को पीएचडी की उपाधि

कोटा, (निर्स). कोटा निवासी डॉ. नीलिमा जोशी (भट्ट) को एजुकेशन संकाय में शोध कार्य पूर्ण करने के लिए अपेक्ष

विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से पीएचडी की उपाधि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़ द्वारा प्रदान की गई। यह उपाधि डॉ. श्वेता भार्गव के निर्देशन में उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य संकाय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग में आने वाली समस्याओं एवं समाधानों का अध्ययन विषय पर शोधकार्य के लिए प्रदान की गई।

## तिरंगा यात्रा का आयोजन

रामगंजमण्डी, (निर्स)। नगर पालिका रामगंजमण्डी द्वारा बुधवार को हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के उपलक्ष में सुबह 11 बजे से तिरंगा यात्रा का आयोजन शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए गांधी चौक तक किया गया। तिरंगा रैली नगर पालिका से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई उपखण्ड कार्यालय के सामने समाप्त हुई। रैली में पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल, अधिकारी अदिशाशी तरुण लहरी, पार्षदागण, पालिका कर्मचारी व गणमान्य नागरिक शामिल रहे।

| खोया-पाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><span>The transfer certificate of my shop, Shop No. 4, Jyoti Mandir Road, Dadabari, Kota has been lost somewhere. Whoever gets it, please contact at the following address: Gurmeet Singh, son of Nahar Singh, 3 E 30, Dadabari Extension, Kota</span></div>                                                                           |
| नाम परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>मैंने अपना पुराना नाम जाहिद अली भट्टो से बदलकर नया नाम जाहिद अली रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।</div></div></div></div><div>पता-जाहिद अली ताहिर अली 3 6 गोविन्द नगर योजना जगदपुरा रोड जयपुर</div></div></div></div>          |
| नाम परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>मैंने अपना पुराना नाम मेघा जोशी अली से बदलकर नया नाम मेघा जोशी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।</div></div></div></div><div>पता-मेघा जोशी पत्नी मुशाहिद अली फ्लेट नं. 102 महालक्ष्मीपुरम बारां रोडकोटा</div></div></div></div> |

| पश्चिम मध्य रेल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>सिग्नल एवं दूर संचार विभाग</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>निविदा सूचना— दिनांक: 11.08.2025</div></div><div><div><span></span></div><div>भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.मं.सं.एवं दू.सं. इंजी.(सिग्नल एवं दूर संचार) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल निम्नलिखित कार्ययें Tender No. KOTA/SNT/SIG/2025/19 के लिये निर्माित ई-निविदाएं आमंत्रित करते है।</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>टेंडर खुलने की तारीख एवं समय टेबल में दर्शाया गया है। इस निविदा के लिए किसी भी तरह के मैचअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्रात मैनुअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जायेगा।</div></div><div><div><span></span></div><div>टेंडर सं.— कोट/एसएण्डटी/सिग./2025/19, कार्य का नाम— एनुअल मेन्टीनेन्स कॉन्ट्रक्ट ऑफ डाटा लॉगर्स इंस्टील ऑन कोटा डिजिन (2025), कार्य की अनुमानित लागत— रु. 46625134.62, बयाना राशि— रु. 383100/—, तारीख एवं समय— दिनांक 02.09.2025 को 15:00 बजे तक, पूर्ण विवरण वेबसाइट https://www.irops.gov.in पर अपलोड की गई है। निविदा / बोलीदाताओं को पास कक्षा 11। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है और आई.आर.डी.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। केवल पंजीकृत निविदा / बोलीदाताओं ई टेंडरिंग पर भाग ले सकते है। सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किया जाना चाहियें। पंजीकृत निविदा एंड GSTIN रजिस्टर होना चाहियें।</div></div></div></div></div> |
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>हस्ता)</div></div></div><div>वरि. मं. सं. एवं दू. सं. इंजी. (समन्वय) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>संख्यांक-4</div></div></div><div>संक्षिप्त वाद का सम्मन</div><div>आदेश 37 नियम 2</div></div></div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश</div></div></div><div>क्रम-3 कोटा</div><div>वैक ऑफ बड़ौदा .....वादी</div></div></div></div></div></div> |

| संख्यांक-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>संक्षिप्त वाद का सम्मन</div></div></div><div>आदेश 37 नियम 2</div></div></div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश</div></div></div><div>क्रम-3 कोटा</div><div>वैक ऑफ बड़ौदा .....वादी</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>कयामतून शेरा .....प्रतिवादी</div></div></div><div>निवासी मकान नं. 7-ई-59 विमान नगर विस्तार योजना कोटा</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>2) मेसर्स तनवीर मेडिकल एजेन्सी शाप नं. 6 प्रथम तल लक्कूव मेडिकल काम्पलेक्स लाडपुरा कोटा (राज.)</div></div></div><div>वादी ने सिविल प्रक्रिया संविता 1908 के आदेश के 37 के अधीन आपके विरुद्ध 529739 रु. और व्याज के लिए संस्थान किया है। आपको सम्मन दिया जाता है कि आप इस सम्मन को तामील होने की तारीख से 10 दिन के भीतर उपसंजत (हाज़िर) हो। यदि आप ऐसा नहीं करीते तो 10 दिन की अवधि बीत जाने के पश्चात वादी को 529739 रु. से अनाधिक राशि के लिए ऐसे व्याज सहित, यदि कोई हो, जैसा न्यायालय आर्दिष्ट करे, डिग्री अधिप्राप्त करने का हक होगा। यदि उपसंजत होते है तो वादी तत्पश्चात आपको निर्णय के लिए सम्य तामील कराया जिसकी सुनवाई के समय आपको वाद की प्रतिका करने इजाजत के लिए न्यायालय से समावेदन करने का हक होगा।</div></div><div><div><span></span></div><div>यदि आप शपथ पत्र द्वारा या अन्याय न्यायालय यह समाधान कर देते है कि यदि वाद की प्रतिका गुणगुण (मेरिट) के आधार पर की जा सकती है या युक्ति युक्त है कि आपके प्रतिस्था करने के लिए अनुज्ञा दी जानी चाहिए तो प्रतिका करने की इजाजत दी जा सकेगी।</div></div><div><div><span></span></div><div>यह आज तारीख 8.7.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया जाता है।</div></div><div><div><span></span></div><div>मोहर अदालत</div></div><div><div><span></span></div><div>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश</div></div><div><div><span></span></div><div>क्रम-3 कोटा</div></div></div></div></div> |

| संख्यांक-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>संक्षिप्त वाद का सम्मन</div></div></div><div>आदेश 37 नियम 2</div></div></div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश</div></div></div><div>क्रम-5 कोटा</div><div>वैक ऑफ बड़ौदा</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>मेसर्स चेनना गारमेन्ट्स</div></div></div><div>विक्ट</div><div>मेसर्स चेनना गारमेन्ट्स प्रो. विक्टमय गोखलानी पुत्र श्री छोगामल गोखलानी, बी-295 अर.के. पुरम कोटा</div></div></div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>अन्य पता-दुकान नं. 76 सब्जीमण्डी, महावीर नगर द्वितीय कोटा राज., निवास पता-3/44 गणेश तालाब कोटा (राज.)</div></div></div><div>वैक ऑफ बड़ौदा ने सिविल प्रक्रिया संविता 1908 के आदेश के 37 के अधीन आपके विरुद्ध 7,29,165 रु. और व्याज के लिए संस्थान किया है। आपको सम्मन दिया जाता है कि आप इस सम्मन को तामील होने की तारीख से 10 दिन के भीतर उपसंजत (हाज़िर) हो। यदि आप ऐसा नहीं करीते तो 10 दिन की अवधि बीत जाने के पश्चात वादी को सात लाख उन्नीस हजार एक सौ सैठर 7,29,165 रु. से अनाधिक राशि के लिए ऐसे व्याज सहित, यदि कोई हो, जैसा न्यायालय आर्दिष्ट करे, डिग्री अधिप्राप्त करने का हक होगा।</div></div><div><div><span></span></div><div>यदि उपसंजत होते है तो वादी तत्पश्चात आपको निर्णय के लिए सम्य तामील कराया जिसकी सुनवाई के समय आपको वाद की प्रतिका करने इजाजत के लिए न्यायालय से समावेदन करने का हक होगा।</div></div><div><div><span></span></div><div>यदि आप शपथ पत्र द्वारा या अन्याय न्यायालय यह समाधान कर देते है कि यदि वाद की प्रतिका गुणगुण के आधार पर की जा सकती है या युक्ति युक्त है कि आपके प्रतिस्था करने के लिए अनुज्ञा दी जानी चाहिए तो प्रतिका करने की इजाजत दी जा सकेगी।</div></div><div><div><span></span></div><div>यह आज तारीख 31.7.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया जाता है।</div></div><div><div><span></span></div><div>मोहर अदालत</div></div><div><div><span></span></div><div>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश</div></div><div><div><span></span></div><div>क्रम-5 कोटा</div></div></div></div></div></div> |

| भारतीय खेल प्राधिकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>SPORTS AUTHORITY OF INDIA</div></div></div><div>भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA</div><div>खेल विभाग/DEPARTMENT OF SPORTS</div></div></div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><div>(An Autonomous Body under Ministry of Youth Affairs and Sports)</div></div></div><div>(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय)</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>एफ.सं. 01-0400(01)/3/2025-एचओ-कार्मिक प्रभाग</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अधिसूचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) में सहायक पद पर भर्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा सहायक के 48 निम्नित पदों (अनारक्षित-22 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-04, अन्य पिछड़ा वर्ग-12, अनुसूचित जाति-07, अनुसूचित जनजाति-03) पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया SSC CGL 2024 Public Disclosure List (PDL) में सम्मिलित अर्थार्थियों से 1: 5 के अनुपात में श्रेणीवार (UR/EWS/OBC/SC/ST) चयन कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण के माध्यम से की जाएगी।</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पात्रता की शर्तें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div><div><div>1</div><div><b>शैक्षणिक योग्यता-</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष, या लेख/वाणिज्य/अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/आईसीडब्ल्यू/आईसीआई से स्नातक की डिग्री या समकक्ष।</div></div><div><div>2</div><div><b>आयु सीमा-</b> 30 वर्ष से अधिक नहीं (ऑनलाइन आवेदन के उद्घाटन दिनांक के अनुसार) विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के प्रचालित दिशा-निर्देशों के अनुसार डीओपीटी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार लागू होंगे।</div></div><div><div>3</div><div>चयन Public Disclosure List of SSC CGL 2024 के अंकों पर आधारित मेरिट सूची</div></div><div><div>4</div><div><b>वेतनमान-</b> वेतन मंिट्रिक्स स्तर-06 (7वां सीपीसी)</div></div><div><div>5</div><div>PwBD श्रेणी हेतु 02 पद क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित हैं।</div></div></div> <div><div><b>महत्वपूर्ण-</b> आवेदन जमा करने के लिए केवल निम्नत्रण दिया गया है, जिसका अर्थ अंतिम चयन नहीं है। ऑफर लेटर मेरिट और रिक्रयें की उपलब्धता के आधार पर जारी किए जाणेंगे।</div><div>विवरण दिए गए कार्यालय के लिए वेबसाइट देखें- https://sportsauthorityofindia.nic.in</div><div>प्रश्नों के लिए ईमेल करें-recruitment.cell.sai@gov.in</div><div>अंतिम तिथि एवं विस्तृत अधिसूचना SAI की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।</div></div> |
| <div>CBC 47103/12/0004/2526</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |